संख्या-22/2021/05/22-2-2021-17(432)/2018

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपू उर्फ असित बाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र बाजपेई, निवासी जनपद-कानुपद देहात की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-225/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 18.12.2020, दिनांक 05.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दीपू उर्फ असित वाजपेई पुत्र श्री राजेन्द्र वाजपेई, भितरगॉव, मजरा कुर्सी, थाना-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 23.01.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी गुलाब सिंह भदौरिया के 03 वर्ष, 04 माह के पुत्र का अपहरण कर 70 हजार रूपये फिरौती की मांग करते हुए पत्र भेजा गया। फिरौती न मिलने पर बच्चे की गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-556/2003 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.03.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2020 तक 17 वर्ष 09 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 04 माह 23 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, समयपूर्व रिहाई होने पर पुन: अपराध करने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति संतोषजनक होने एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की आख्या के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: क्रिमिनल अपील संख्या-1282/2012 दीपू उर्फ असित वाजपेई बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दीपू उर्फ असित बाजपेई (बन्दी संख्या-**26864**) पुत्र श्री राजेन्द्र बाजपेई, निवासी जनपद-कानुपद देहात की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2021/05(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानुपद देहात।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।